मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड

छठवीं मंजिल, लिली ट्रेड विंग, जहांगीराबाद, भोपाल (म0प्र0)

पिनकोड- 462008

Website : http:// www.tourism.mp.gov.in

वाहन किराये पर लिए जाने हेतु निविदा सूचना पत्र

मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल को शासकीय कार्य हेतु **आवश्यकता के अनुसार वाहन किराये पर लेने के लिए वार्षिक अनुबंध पर पंजीकृत वाहन प्रदायकर्ताओ से** मुहरबंद निविदाये दिनांक 20/11/2020, **दोपहर** 3.00 **बजे** तक आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत विवरण वेबसाइट http://www.tourism.mp.gov.in पर उपलब्ध है, निविदा प्रपत्र भी इसी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रबंध संचालक

मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल,

छठवीं मंजिल, लिली ट्रेड विंग, जहांगीराबाद, भोपाल 462008

क्र.-4300/स्थापना/म.प्र.टू.बोर्ड/वाहन/2020 **भोपाल, दिनांक 03/11/2020**

वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल, को शासकीय उपयोग हेतु वर्ष जनवरी 2019 अथवा उसके बाद के मॉडल के इनोवा क्रिष्टा, स्विफ्ट डिजायर/एक्सेंट/फोर्ड एस्पायर, स्कॉर्पियो/क्रेटा, बोलेरो/TUV 300, सियाज एवं समकक्ष आदि वाहन आवश्यकतानुसार किराये पर लिये जाने हैं।

निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत निविदा शर्ते, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट http://www.tourism.mp.gov.in पर उपलब्ध हैं | निविदाकार द्वारा निविदा का कुल मूल्य रु. 2950/- (GST 18% सहित) (दो हजार नौ सौ पचास मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल, को देय हो, के साथ प्रस्तुत करना होगा |

निविदा जमा करने का स्थान	मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल, छठवीं मंजिल, लिली ट्रेड विंग, जहांगीराबाद, भोपाल 462008
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	कार्यालयीन समय में दिनांक 20/11/2020 को दोपहर 3.00 बजे तक
निविदा प्रस्ताव खोलने का समय एवं दिनांक	दिनांक 20/11/2020 को अपरान्ह 4.00 बजे निविदाकारों अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष
वित्तीय प्रस्ताव खोलने का समय एवं दिनांक	पृथक से सूचित किया जाएगा

निविदा अ एवं ब (दो लिफाफा) पद्धति के आधार पर जमा करना होगी।

लिफाफा अ : तकनीकी प्रस्ताव

लिफाफा ब : वित्तीय प्रस्ताव (सील बन्द)

लिफाफा अ एवं ब में रखे जाने वाले दस्तावेजों की सूची निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न चेकलिस्ट में दी गई है ।

किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, को होगा।

प्रबंध संचालक

निविदा प्रपत्र

क्रमांक	विवरण	विवरण
1	निविदाकार का नाम	
2	पंजीकृत कार्यालय का नाम व पता	
3	दूरभाष / मोबाइल न.	
4	निविदाकार का आयकर विभाग का PAN (फोटोकापी संलग्न करें)	
5	GST पंजीयन क्र. (फोटोकापी संलग्न करें)	
6	संस्था का रजिस्ट्रेशन क्रमांक : (फोटोकापी संलग्न करें)	
7	परिवहन व्यवसाय का RTO पंजीयन	
8	संस्था का बैंक विवरण	बैंक का नाम ; शाखा का नाम : अकाउंट न.: आई ऍफ़ एस सी कोड :
9	निविदाकार के वाहनों के क्रंमाक एवं वैधता का विवरण (प्रपत्र-अ) मे जानकारी/छायाप्रति संलग्न करें	
10	पूर्व अनुभव(शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों में किये गये कार्य से संबंधित कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें)	

11	निविदाकार के कारोबार का विवरण (टर्न ओवर) (उपरोक्त के सन्दर्भ में Chartered Accountant का सर्टिफिकेट संलग्न करे)	वर्ष 2017-18रू. ……………..लाख वर्ष 2018-19रू.…………….. लाख वर्ष 2019-20रू. ……………..लाख
12	क्या किसी न्यायालय में निविदाकार के विरुद्ध कार्य दावा या वाद प्रचलित हैं,यदि हाँ तो संबंधित न्यायालय का नाम एवं वाद/दावा के स्वरुप का विवरण अंकित करें।	प्रमाण पत्र संलग्न करें
13	निविदा के साथ प्रतिभूति के रुप में जमा कराई गई राशि रु. 2,00,000/- (दो लाख मात्र) के बैंक ड्राफ्ट का विवरण	क्र0…………………..दिनांक………………………. बैंक का नाम……………………………………. शाखा………………………………………………. राशि (शब्दों में)……………………………………….. ……………………………………………………………

निविदाकार /एजेंसी के अधिकृत
व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रपत्र-अ

निविदाकार द्वारा दी जाने वाली वाहनों की जानकारी

(आवश्यकता होने पर प्रथक से शीट सलग्न करे)

(कृपया एजेन्सी के स्वामित्व वाले वाहनों की जानकारी जो निविदा शर्तो के अनुसार सेवा में लगाये जा सकते हों, जानकारी निम्न प्रारुप में दें व स्पष्ट छायाप्रति भी संलग्न करें)

क्र0	वाहन स्वामी का नाम (जिसके नाम पर वाहन का रजिस्ट्रेशन हैं)	वाहन का नाम	वाहन का मॉडल (वर्ष)	वाहन का रजिस्ट्रेशन क्र.	वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न करें	टेक्सी के रुप में मान्य प्रमाणन छायाप्रति संलग्न करें	बीमा Comprehensive Insurance छायाप्रति संलग्न करें

नोटः- सभी उल्लिखित वाहनों के पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करे ।

निविदाकार का नाम

हस्ताक्षर –

सील

वाहन किराये पर लेने हेतु नियम एवं शर्ते

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को शासकीय कार्य निष्पादन/भ्रमण आदि हेतु वर्ष जनवरी 2019 अथवा इसके पश्चात के मॉडल के वाहनों की किराये पर आवश्यकता हैं।

वाहन किराये पर लेने हेतु नियम एवं शर्ते निम्नानुसार हैं:-

1. पूर्ण रुप से भरे हुये निविदा प्रपत्र के जमा करने की अंतिम तिथि **20/11/2020** दोपहर **3.00** बजे अपरान्ह तक हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक **20/11/2020 को अपरान्ह 4.00** बजे निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएंगी ।
2. वाहन किराया दर में ईधन (पी.ओ.एल.), वाहन चालक का वेतन, वाहन की मरम्मत व रखरखाव, पंजीकरण, रोड़ टैक्स, बीमा राशि आदि समस्त व्यय सम्मिलित होंगे। पृथक से किसी भी प्रकार का कर, प्रभार, उपकर अथवा अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा। किराये के अतिरिक्त GST का भुगतान पृथक से किया जायेगा |
3. निविदा पत्र के साथ रु. 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) की प्रतिभूति राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जमा करना होगा । डिमांड ड्राफ्ट, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल के नाम से देय होगा। इस राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
4. चयनित निविदाकर से प्राप्त प्रतिभूति राशि, अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पश्चात Security Deposit के रूप में अनुबंध अवधि तक रखी जायेगी | शेष निविदाकर्ताओ को प्रतिभूति राशि वित्तीय निविदा खुलने के 30 दिनों में वापिस की जायेगी, इस प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा |
5. वाहन प्रदाता का विगत तीन वित्तीय वर्षो में (मार्च 2020 को समाप्त अवधि तक) प्रत्येक वर्ष, वार्षिक कारोबार कम से कम रु 50.00 लाख का होना अनिवार्य है।
6. वाहन प्रदाता एजेन्सी का नियमानुसार जी.एस.टी (GST) हेतु पंजीयन अनिवार्य हैं। इस बाबत् जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाना आवश्यक हैं, अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जायेगी।
7. वाहन प्रदाता एजेन्सी को भुगतान प्राप्त होने पर नियमानुसार जी.एस.टी (GST) के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा |
8. अनुबंध अवधि के दौरान यदि शासन द्वारा पेट्रोल/डीजल आदि की दर में कोई वृद्धि/ कमी की जाती हैं तो दरें परिवर्तनीय नहीं होंगी ।

9. निविदाकार के पास कम से कम 10 वाहन टैक्सी के रुप में आर.टी.ओ. में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

10. प्रत्येक वाहन को प्रतिमाह न्यूनतम 1500km के मान से भुगतान किया जायेगा एवं 1500km से अधिक चलने पर प्रति km की दर से भुगतान किया जायेगा ।अपरिहार्य परिस्थितियों के यदि कोई वाहन 15 दिवस से अधिक समय तक अधिकारी द्वारा उपयोग के लिए नहीं लाया जाता है तो न्यूनतम 1500km की सीमा शिथिल करते हुए वास्तविक दूरी के आधार पर भुगतान किया जावेगा।

11. मासिक आधार पर जिस निविदाकर्ता की दरे न्यूनतम होगी उसी से दैनिक आधार पर भी वाहन आवश्यकतानुसार किराए पर लिये जायेंगे, परन्तु दैनिक आधार पर देय दरें प्राप्त प्रस्तावों में जो न्यूनतम होगी वे दरें चयनित निविदाकर्ता को मान्य करनी होगी |

12. वाहन से सम्बंधित रजिस्ट्रेशन/बीमा/रोड टेक्स एवं अन्य समस्त शासकीय कर आदि वाहन प्रदाता को वहन करना होगा व उन्हें अद्यतन रखने की जिम्मेदारी भी उसी की रहेगी। वाहन का Comprehensive insurance होना अनिवार्य होगा। वाहन व वाहन चालक से सबंधित समस्त मूल दस्तावेज वाहन के साथ में रखे जाने आवश्यक होंगे व एक प्रति कार्यालय में भी जमा करना होगा।

13. वाहन प्रदाता अपने वाहन के साथ वैध (Valid) कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस धारी वाहन चालक भी उपलब्ध करायेगा, जिसके वेतन, पी.एफ., ई.एस.आई, भत्ते, उपयुक्त ड्रेस, बीमा सुविधा आदि समस्त विधिक औपचारिकताओं का भुगतान वाहन प्रदाता को स्वयं करना होगा। वाहन चालक को 24 घंटे कार्यशील मोबाईल सुविधा प्रदान करना आवश्यक होगा, वाहन चालक स्वच्छ चाल चलन वाले एवं परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित कामर्शियल वाहन चालक के ड्रेस कोड में रहना चाहिए।

14. सामान्यत: वाहन की सेवाएं प्रतिदिन, सप्ताह के सातों दिन व पूरे माह बिना किसी अवकाश उपलब्ध कराई जानी आवश्यक होंगी। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों जैसे- स्टेशन/एयरपोर्ट, बैठकों आदि के लिए वाहन चालक को अन्य विर्निदिष्ट समय में निर्देशानुसार सेवा प्रदान करने हेतु तत्पर रहना होगा तथा यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी। इसके लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

15. वाहन की बाहरी एवं आंतरिक साज सज्जा एवं नियमित सफाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी। इस हेतु वाहन के सीट कवर आदि को 15 दिवस में बदला जाना अनिवार्य होगा।

16. वाहन के स्वामित्व आदि में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। वाहन मध्यप्रदेश में पंजीकृत होना चाहिए तथा ''एम.पी'' सीरीज के होने चाहिए।

17. आवश्यकतानुसार वाहन अन्य स्थानों पर भी शासकीय कार्य से ले जाये जा सकते हैं।

18. वाहन चालक द्वारा अपने कर्तव्य पर उपस्थिति के दौरान गुटखा, तम्बाकू, धूम्रपान एवं नशे संबंधी गतिविधियाँ पूर्णतः वर्जित होंगी। वाहन चालक का पुलिस से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। यदि अधिकारी द्वारा इस संबंध में शिकायत की जाती हैं तो वाहन प्रदाता को तत्काल वाहन चालक के विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी।

19. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन अथवा वाहन चालक को बदलने से पूर्व कार्यालय की अनुमति ली जाना आवश्यक होगी, क्योंकि इससे शासकीय कार्य बाधित होते हैं। वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी की अनुमति उपरान्त ही वाहन एवं वाहन चालक बदला जावेगा अन्यथा ऐसी स्थिति में उस दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा। अनुबंध अवधि में वाहन पूर्णरुपेण बोर्ड के आधिपत्य में रहेंगे | इस कारण उक्त वाहनो का उपयोग वाहन प्रदाता अन्य कार्यों में नहीं कर सकेगा।

20. परिवहन नियमों के विपरीत वाहन के संचालन या वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी अन्य स्थितियों में किसी भी प्रकार के जुर्माना की राशि को भरने या अन्य वैधानिक कार्यवाही के लिए निविदाकार एजेन्सी स्वयं उत्तरदायी होगी।

21. वाहन में लॉगबुक उपलब्ध करायी जाना आवश्यक होगा जिसमें उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा दैनिक आधार पर किलोमीटर अंकित की जाकर पुष्टि की जाएगी। उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लॉग-बुक की छायाप्रति को वाहन प्रदाता द्वारा सत्यापित की जाकर देयक के साथ संलग्न की जाना अनिवार्य होगा। अधिकारी के वाहन का उपयोग प्रारम्भ करने व मुक्त करने तक किलोमीटर मान्य होगा, अर्थात किलोमीटर की गणना अधिकारी के आवास/ कार्यालय से की जायेगी |

22. वाहन की मरम्मत, रखरखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व वाहन मालिक का होगा एवं सुधार कार्य हेतु ले जाने की स्थिति में अन्य वाहन सेवा में लगाना होगा अन्यथा सुधार अवधि का किराया देय नहीं होगा। वाहन मरम्मत आदि हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा। वाहन की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।

23. रास्ते में सामान्यतः दो घण्टे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस दिन का किराया भुगतान नहीं किया जावेगा। वाहन के खराब होने के स्थान से गैराज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा। साथ ही अन्य वाहन भी उपलब्ध कराना होगा। यदि अधिकारी को ऐसी स्थिति में स्वंय वाहन किराये पर लेकर यात्रा की जाती हैं तो उसका भुगतान ट्रेवल एजेंसी को करना होगा।

24. वाहन चालकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक दर (जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित) से कम भुगतान नहीं किया जावेगा और उनकी भविष्य निधि से संबन्धित औपचारिकतायें पूर्ण की जावेगी।

25. किसी एजेन्सी की दरें न्यूनतम होने अथवा स्वीकृत होने पर भी उसका वाहन विभाग द्वारा प्रयोग करने अथवा नहीं करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

26. यदि किसी कारणवश कार्य दिवस में वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता हैं तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक एक दिवस की अनुपस्थिति के लिए दो दिन का भुगतान काटा जावेगा।

27. बोर्ड को प्रदाय किये जाने वाले वाहनों का मॉडल **जनवरी 2019** अथवा इसके पश्चात का होना अनिवार्य हैं । आर.टी.ओ. द्वारा टैक्सी परमिट हेतु आवंटित वैध नम्बर व नम्बर प्लेट के बिना कोई भी वाहन कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

28. कार्यालय की आवश्यकतानुसार अन्य ट्रेवल्स ऐजेंसी से भी स्वीकृत दरों पर वाहन किराये पर लिये जा सकते हैं।

29. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात शर्तो का उल्लघंन करने अथवा निर्देशानुसार वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जावेगी एवं ऐसी स्थिति में संस्था को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है |

30. निविदा के संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। अनुबंध उपरान्त विभाग अपनी आवश्यकतानुसार वाहन प्राप्त करने हेतु वाहन मालिक से संपर्क करेगा | इसके लिये वाहन मालिक का पूरे समय कार्यशील दूरभाष/मोबाइल नं0 विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

31. देयकों से नियमानुसार आयकर एवं अन्य लागू होने वाले करों की कटौती की जावेगी।

32. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन कार्य क्षेत्र भोपाल न्यायालय का माना जावेगा।

33. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल का होगा।

34. निविदा की शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

35. निविदा, निविदाकर्ताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष नियत समय पर खोली जावेंगी। निविदायें खोले जाते समय यदि किसी कारणवश, कोई भी निविदाकार या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहने में असफल रहता हैं, तब भी निविदा खोले जाने की आवश्यक कार्यवाही बिना कोई प्रतीक्षा किये सम्पन्न की जावेगी तथा इस विषय में उठाई गई कोई भी आपत्ति विधिमान्य नहीं होगी।

36. निविदा स्वीकृति उपरांत एक वर्ष का अनुबंध किया जावेगा। सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर दोनों पक्षों की सहमति पर सेवा अवधि में अधिकतम आगामी 03 वर्ष वृद्धि की जा सकती हैं।

37. निविदाकर्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना उपरांत वाहन हटाये जा सकेगें, परन्तु सेवायें संतोषजनक नहीं होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय अनुबन्ध समाप्त किये जाने का अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज़म बोर्ड, भोपाल के पास सुरक्षित होगा | इस स्थिति में जमा प्रतिभूति राशि भी जप्त की जा सकती है ।

38. वाहन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती हैं तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी भी वाहन प्रदाता की होगी।

39. मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के कार्य से वाहन बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल टैक्स का भुगतान किया जाता हैं, तो वह देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत की गई रसीदों के आधार पर भुगतान किया जा सकेगा । एजेंसी द्वारा वाहन चालक को वाहन मुख्यालय से बाहर ले जाने पर ईधन (पी.ओ.एल.) एवं वाहन मरम्मत आदि हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाना आवश्यक हैं।

40. उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें वाहन प्रदाय करने की दिनांक से लागू होंगी तथा इनका पालन एजेन्सी को सुनिश्चित करना बंधनकारी होगा।

41. निविदा के नियम एवं शर्तों में संशोधन का अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज़म बोर्ड, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा की किसी शर्त में यदि कोई अस्पष्टता हो तो इस संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश टूरिज़म बोर्ड

(निविदाकर्ता द्वारा अपने लैटर हेड पर हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जाये)

<u>शपथ पत्र</u>

यह शपथपूर्वक प्रमाणित किया जाता हैं कि निविदा में उल्लेखित उपरोक्त समस्त शर्तों का हमारे/मेरे **द्वारा** सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लिया गया हैं, एवं इन सभी शर्तों से एजेंसी सहमत हैं। यदि निविदा की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने के कारण ऐजेंसी द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर दी जाती हैं तो उसमें मुझे/हमको कोई आपत्ति नहीं होगी।

निविदाकार एजेंसी/अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षरः-

नामः-

पताः-

संस्था में पदः-

सीलः-

<u>चैकलिस्ट</u>

निविदा प्रपत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें।

<u>''लिफाफा-अ''</u>

1. निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी का प्रपत्र एवं संलग्नक ।
2. निविदा का कुल मूल्य रु. 2950/- (GST 18% सहित) (दो हजार नौ सौ पचास मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल, को देय हो |
3. प्रतिभूति के रुप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल, के पक्ष में देय रूपये 2,00,000/- का डिमांड ड्राफ्ट।
4. एजेंसी द्वारा दाखिल किये गये आयकर रिटर्न की पिछले 3 वर्षो (वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20) के प्रपत्रों की छायाप्रति।
5. पूर्व में अन्य शासकीय विभागों/कार्यालयों/शासकीय अर्ध शासकीय उपक्रमों में कार्य करने के प्रमाण स्वरूप कार्यादेश, प्रमाण पत्र आदि की छायाप्रतियाँ ।
6. एजेंसी का टर्नओवर पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 50.00 लाख होने के प्रमाण स्वरूप बैलेंश शीट की छायाप्रति, chartered Accountant का सर्टिफिकेट आदि संलग्न करें।
7. जिन वाहनों का उल्लेख निविदा प्रपत्र में किया जा रहा हैं उनके

    1. पंजीयन
    2. फिटनेस
    3. बीमा
    4. टैक्सी परमिट

अलग अलग सेट बनाकर संलग्न करें।

8. एजेंसी का पैन, टेन एवं जी.एस.टी पंजीयन क्र0 की छायाप्रतियाँ |
9. परिवहन व्यवसाय का RTO पंजीयन

''लिफाफा-''ब''

निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित दरें प्रपत्र "ब' अनुसार ''लिफाफा-''ब'' में रखे |

प्रपत्र –ब

निविदा प्रपत्र क्र./म.प्र.टू.बो/2020/

मासिक आधार पर वाहन किराये पर प्रदाय करने हेतु निविदा पत्र

वित्तीय प्रस्ताव (A)

निविदाकार द्वारा प्रस्तावित किराया दरें

क्रमांक	वाहन का प्रकार	मासिक किराया 1500 कि.मी. रनिंग के लिए	1500 कि.मी. के बाद प्रति कि.मी. की दरें
1.	स्विफ्ट डिजायर/ एक्सेंट/ फोर्ड एस्पायर एवं समकक्ष		
2.	सियाज एवं समकक्ष		
3.	बोलेरो/TUV 300 एवं समकक्ष		
4.	स्कॉर्पियो/क्रेटा एवं समकक्ष		
5.	इनोवा क्रिष्टा एवं समकक्ष		

दिनांक............................. निविदाकार के हस्ताक्षर

स्थान................................ (सील सहित)नाम एवं पता :

दैनिक आधार पर एवं मुख्यालय से बाहर जाने हेतु वाहन किराये पर प्रदाय करने हेतु निविदा पत्र

वित्तीय प्रस्ताव (B)

निविदाकार द्वारा प्रस्तावित किराया दरें

क्रमांक	वाहन का प्रकार	प्रतिदिन के लिए दरें		वाहन मुख्यालय से बाहर ले जाने की स्थिति की प्रतिदिन की दरें एवं प्रति कि.मी. की दरें
		10 घंटे , 150 कि.मी. हेतु	अतिरिक्त कि. मी./ प्रति घंटे हेतु	
1.	स्विफ्ट डिजायर/ एक्सेंट/ फोर्ड एस्पायर एवं समकक्ष		/	
2.	सियाज एवं समकक्ष		/	
3.	बोलेरो/TUV 300 एवं समकक्ष		/	
4.	स्कॉर्पियो/क्रेटा एवं समकक्ष		/	
5.	इनोवा क्रिष्टा एवं समकक्ष		/	

दिनांक.............................

निविदाकार के हस्ताक्षर

स्थान................................

(सील सहित)नाम एवं पता :